न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 436/23 (धारा 75 भू राज0 अधि0 1956) (RCMS No.2023/464)

रामदयाल पुत्र स्व0 श्री लल्लूलाल जाति माली निवासी मीम चौकी मौहल्ला शहर सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर दिनांक 12.10.2022 प्रार्थना पत्र प्रार्थी रामदयाल हरगोविन्द, हनुमान पिस0 लल्लूलाल के पिताजी का जमाबन्दी में नाम सही कराने बाबत।

उपस्थितिः–

श्री मुकेश बंसल वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 22.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 12.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में शिविर प्रभारी एवं उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया था कि उसके पिता का नाम स्व. श्री लल्लूलाल है, जबकि जमाबन्दी में उनका नाम श्रीकिशन दर्ज हो रहा है, जिसे सही किया जाना जरूरी है। इस प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई हरगोविन्द, हनुमान की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सवाईमाधोपुर पटवार हल्का आलनपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर में खाता संख्या नया 125 पुराना 109 के खसरा नम्बर 1002, 1015 कुल किता–2 कुल रकबा 0.2900 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 37 पुराना 24 के खसरा नम्बर 1003, 1004, 1022, 1023 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1200 है0 का 1/10 भाग है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिपोर्ट हेतु दिनांक 26.10.2010 को भिजवाया गया, परन्तु प्रार्थी के पिता के नाम में संशोधन नहीं होने के कारण पुनः दिनांक 17.03.2021 को तहसीलदार को उपरोक्त संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा यह कहे जाने पर कि नाम संशोधन का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया जावे। इस पर अपीलान्ट की ओर से प्रशासन गांव के संग अभियान में उपखण्ड अधिकारी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के समक्ष नाम संशोधन करवाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2022 के द्वारा यह मानते हुये कि प्रार्थीगण के पिता का नाम भूप्रबंध विभाग द्वारा गलत दर्ज नहीं किये जाने के कारण उक्त प्रकरण एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अंतर्गत नहीं आता है। उक्त निर्णय में यह भी निर्देश दिये गये कि इस संबंध में प्रार्थी वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 12.10.2022 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2022 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं किया गया। जबकि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में समय–समय पर पिता के नाम में संशोधन करवाये जाने बाबत तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते रहें हैं। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर जॉच रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रस्तुत की गई थी। जिसके आधार पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा भी वांछित संशोधन किये जाने की अभिशंषा की गई थी, परन्तु उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुये राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 18.06.2007 का उल्लेख करते हुये यह अभिमत देते हुये कि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार ऐसे काश्तकार जिनका राजस्व अभिलेख में नाम सम्मान सूचक नहीं है, के लिखित प्रार्थना पत्र देने पर यदि सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है तो तहसीलदार द्वारा ही दुरूस्त कर दिया जावे, परन्तु सहमति नहीं होने पर उपखण्डाधिकारी द्वारा अंकित जांच करने के पश्चात राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एवं राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 की धारा 369 के अंतर्गत उक्त अभिलेख में नाम संबंधित त्रुटियों की दुरूस्ती की कार्यवाही की जावेगी। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह मानते हुये कि प्रार्थीगण अपने पिता का नाम सम्मान सूचक नहीं करवाकर नाम ही अलग करवाना चाहते हैं, जो गलत है तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम भू प्रबंध विभाग द्वारा गलत नहीं किया गया है। इसलिये उक्त प्रकरण एल.आर.एक्ट की धारा 136 में नहीं आता है। अदालत मातहत की ओर से दिया गया उक्त अभिमत उचित नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का की ओर से मजमेंआम में की गई पूछताछ के बाद प्रस्तुत की गई जॉच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि अपीलान्टस व सहखातेदार उसके भाई की

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जमाबन्दी खाता संख्या 125 कुल खसरा 2 रकबा 0.29 एवं खाता संख्या 37 किता चार रकबा 0.12 है0 किस्सा 1/10 जमाबन्दी में दर्ज है। ग्राम सवाईमाधोपुर में मजमेआम में जांच के मुताबिक ग्रामवासियान प्रार्थीयान के पिता श्री किशन को अन्य नाम लल्लूलाल के नाम से पुकारते थे तथा प्रतिष्ठित नाम लल्लूलाल है। मुताबिक आधार कार्ड में पिता का नाम लल्लूलाल दर्ज है। इसी प्रकार अन्य सहखातेदार हरगोविन्द व हनुमान के आधारकार्ड में पिता का नाम लल्लूलाल दर्ज है। मतदाता सूची में पिता का नाम लल्लूलाल दर्ज है। प्रार्थी के पिता श्रीकिशन व लल्लूलाल एक ही व्यक्ति थे, दोनों नाम के अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। यदि पिता का नाम श्रीकिशन की बजाये लल्लूलाल किया जाता है तो राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की मसकूकी नहीं होगी तथा कोई अन्य खातेदार प्रभावित नहीं होगा। पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत की गई उपरोक्त जॉच रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर को प्रेषित की गई, परन्तु अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो उक्त रिपोर्ट का अवलोकन ही किया गया और न ही इस रिपोर्ट के बारे में किसी प्रकार का कोई अभिमत ही दिया गया। जबकि पटवारी व तहसीलदार द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि यदि पिता का नाम श्री किशन की बजाय लल्लूलाल किया जाता है तो राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की कोई मशकूकी नहीं होगी तथा कोई अन्य खातेदारी भी प्रभावित नहीं होंगे। इसके बाबजूद अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2022 निरस्त किया जावे तथा आलनपुर के खाता संख्या 125 व 137 में अपीलान्ट के पिता का नाम श्री किशन की जगह लल्लूलाल दर्ज किये जाने व इसी के अनुसार जमाबन्दी में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रार्थीगण व उसके भाई हरगोविन्द, हनुमान पिसरान स्वर्गीय लल्लूलाल माली का जमाबन्दी में नाम सही कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पटवारी हल्का को जॉच कर शुद्धी किये जाने का आदेश दिया गया था। प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट का शपथ पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 तहसीलदार सवाई माधोपुर को दिनांक 17.03.2021 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र, उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2020 की प्रति भी संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को पत्र दिनांक 17.02.2022 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई। इस रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 22.11.2021 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये पत्र में उल्लेख किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम सवाई माधोपुर की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 125 किता 2 रकबा 0.29 एवं खाता संख्या 37 किता 4 रकबा

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

0.12 में सहखातेदारी दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 25 में प्रार्थीयान रामदयाल हनुमान, हरगोविन्द पिसरान श्रीकिशन हिस्सा बराबर व खाता संख्या 37 में 1/10 हिस्सा दर्ज है। मजमेंआम में जॉच किये जाने पर प्रार्थीयान के पिता श्रीकिशन को अन्य नाम लल्लूलाल के नाम से भी पुकारते थे तथा प्रचलित नाम लल्लूलाल है। मुताबिक आधार कार्ड प्रार्थी रामदयाल के पिता का नाम लल्लूलाल दर्ज है। इसी प्रकार हरगोविन्द, हनुमान के आधार कार्ड में भी पिता का नाम लल्लूलाल दर्ज है। प्रार्थी के पिता श्रीकिशन व लल्लूलाल एक ही व्यक्ति था। दोनों नाम के अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। यदि पिता का नाम श्री कृष्ण की बजाय लल्लूलाल किया जाता है तो राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की मशकूकी नहीं होगी तथा अन्य कोई खातेदार भी प्रभावित नहीं होंगे। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2022 में उपरोक्त रिपोर्ट का हवाला देते हुये राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 18.06.2007 को उल्लेखित करते हुये यह माना है कि प्रार्थीगण अपने पिता का नाम सम्मानसूचक नहीं करवाकर नाम अलग कराना चाहते हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम भू प्रंबंध विभाग द्वारा गलत नहीं किया गया है। इसलिये अपीलान्ट का प्रकरण एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत नहीं आना मानकर प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती हैं, क्योंकि एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत केवल गलतियों का शुद्धीकरण ही किये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत किसी लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट की खाते में दर्ज भूमि में पूर्व में कभी अपीलान्ट के पिता का नाम लल्लूलाल रहा हो। जिसे भू प्रबंध विभाग या राजस्व अभिलेख तैयार करते समय गलती से श्रीकिशन कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को खारिज कर यह निर्देश दिया जाना कि प्रार्थीगण वाद दायर कर उक्त अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर नहीं आने के कारण उक्त निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 12.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर